उपायुक्त–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक का कार्यालय, खूँटी

(मनरेगा कोषांग)

मनरेगा अन्तर्गत संविदा पर नियुक्ति संबंधी सूचना

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के संकल्प ज्ञापांक 4729 दिनांक 04.06.07, संकल्प ज्ञापांक 6440 दिनांक 17.07.12 एवं संकल्प ज्ञापांक 848 दिनांक 21.03.17 के आलोक में जिला स्तर पर मनरेगा अंतर्गत संविदा के आधार पर **तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष), तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष), लेखा सहायक, कम्प्यूटर सहायक का** रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्ति के लिए प्रतिक्षा सूची तैयार करने हेतु उपरोक्त पद के लिए वांछित योग्यता रखने वाले खूँटी जिला के अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

- आवेदन–पत्र का प्रारूप एवं रिक्त पदो ंके लिए वांछित योग्यता सहित अन्य विस्तृत जानकारी खूँटी जिले के वेबसाईट **"www.khunti.nic.in"** पर तथा उप विकास आयुक्त–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक का कार्यालय, खूँटी के सूचनापट्ट पर देखा जा सकता है।
- आवेदन–पत्र उप विकास आयुक्त–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक का कार्यालय, खूँटी को निबंधित **डाक/स्पीड–पोस्ट से दिनांक 13.07.2019 को अपराह्न 5:00 बजे** तक भेजा जा सकता है। विलम्ब से प्राप्त आवदेन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

शैक्षणिक योग्यता :–

क्र.	पदनाम	अनिवार्य योग्यता
1.	तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)	**अनिवार्य योग्यता :–** सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी.ई. या बी.टेक. अनिवार्य योग्यता होगी। **अतिरिक्त योग्यता :–** (a) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में एम.टेक. तथा पी.जी. डी.सी.ए./एम.सी.ए./एम.एस.सी. कम्प्यूटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी। (b) एम.सी.ए./एम.एस.ए. कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिषत मूल रूप में एम.सी.ए. की कोटि में जोंडे जायेगे। पी.जी.डी.सी.ए. तथा एम.सी.ए. में समतुल्यता लाने हेतु पी.जी.डी.सी.ए. के प्राप्तांक प्रतिषत में 5 घटाया जायेगा।
2.	तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)	**अनिवार्य योग्यता :–** सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता होगी। **अतिरिक्त योग्यता :–** (c) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी.टेक./बी.ई./बी.सी.ए./वी.एस.सी., कम्प्यूटर/बी.एस.सी. कम्प्यूटर ऑनर्स तथा एम.सी.ए./पी.जी.डी.सी.ए./एम.एस.सी. कम्प्यूटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी। (d) बी.सी.ए. तथा सामान्य बी.एस.सी. कम्प्यूटर को बी.एस.सी. कम्प्यूटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने हेतु उनमें प्राप्तांक प्रतिषत से 5 क्रमषः घटा दिये जायेंगे तथा बी. सए.सी. कम्प्यूटर ऑनर्स कोटि में तदनुरूप प्राप्तांक प्रतिषत जोड़ा जायेगा। (e) एम.सी.ए./एम.एस.सी. कम्प्यूटर को सामान्य योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिषत म्ल रूप में एम.सी.ए. की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी.जी.डी.सी.ए. तथा एम.सी.ए. में समतुल्यता लाने हेतु पी.जी.डी.सी.ए. के प्राप्तांक प्रतिषत में 5 घटा दिया जायेगा।
3.	लेखा सहायक	**अनिवार्य योग्यता :–** सरकारी मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय/संस्थान से बी.कॉम ऑनर्स या सामान्य बी.कॉम न्यूनतम 55 प्रतिषत अंक से उत्तीर्ण। सामान्य बी.कॉम उत्तीर्ण, जिन्हें 55 प्रतिषत प्राप्त नहीं हुआ हो, परन्तु जिन्होंने तत्पष्चात् एम.कॉम किया हो तो वे आवेदन दे सकेंगे, परन्तु बी.कॉम के कुल प्रतिषत प्राप्तांक में 5 घटा कर उसे बी.कॉम ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा।

		अतिरिक्त योग्यता :– (a) सरकारी मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय/संस्थान से एम.कॉम, बी.सी.ए. तथा एम.सी.ए./पी.जी.डी.सी.ए./एम.एस.सी. अतिरिक्त योग्यता होगी। (b) एम.सी.ए./एम.एस.सी. कम्प्यूटर को सामान्य योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिषत मूल रूप में एम.सी.ए. की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी.जी.डी.सी.ए. तथा एम.सी.ए. में समतुल्यता लाने हेतु पी.जी.डी.सी.ए. के प्राप्तांक प्रतिषत में 5 घटा दिया जायेगा जबकि अभ्यर्थी ने बी.सी.ए. के पष्चात् पी.जी.डी.सी.ए. किया हो अन्यथा पी.जी.डी.सी.ए. के प्राप्तांक प्रतिषत में 10 घटाकर उसके प्राप्तांक को एम.सी.ए. की कोटि में रखा जायेगा।
4.	कम्प्यूटर सहायक	**अनिवार्य योग्यता :–** (a) सरकारी मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय/संस्थान से निम्नांकित कोटि के व्यक्ति आवेदन दे सकेंगे – (1) बी.एस.सी. कम्प्यूटर ऑनर्स (2) बी.एस.सी. कम्प्यूटर सामान्य (3) बी.सी.ए. (4) सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पष्चात् पी.जी.डी.सी.ए. उत्तीर्ण। (b) बी.सी.ए. तथा सामान्य बी.एस.सी. कम्प्यूटर के प्रतिषत प्राप्तांक में 5 घटाते हुए उसे बी.एस.सी. कम्प्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा। वैसे सामान्य स्नातक जिन्होंने तत्पष्चात् पी.जी.डी.सी.ए. किया हो. के सामान्य स्नातक के प्रतिषत प्राप्तांक में 10 घटाकर बी.एस.सी. कम्प्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा। **अतिरिक्त योग्यता :–** (a) सरकारी मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय/संस्थान से एम.सी.ए./पी.जी.डी.सी.ए. /एम.एस.सी. कम्प्यूटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी। (b) एम.सी.ए./एम.एस.सी. कम्प्यूटर को सामान्य योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिषत मूल रूप में एम.सी.ए. की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी.जी.डी.सी.ए. तथ एम.सी.ए. में समतुल्यता लाने हेतु पी.जी.डी.सी.ए. के प्राप्तांक प्रतिषत में 5 घटा दिया जायेगा जबकि अभ्यर्थी ने बी.सी.ए./सामान्य बी.एस.सी. कम्प्यूटर के पष्चात् पी.जी.डी.सी.ए. किया हो अन्यथा पी.जी.डी.सी.ए. के प्राप्तांक प्रतिषत में 10 घटाकर उसके प्राप्तांक प्रतिषत को एम.सी.ए. की कोटि में रखा जायेगा।

आयु सीमा दिनांक 01.06.2019 को न्युनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम :–

(क) अनारक्षित वर्ग 35 वर्ष
(ख) महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग) 38 वर्ष
(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (महिला एवं पुरूष) 40 वर्ष

राष्ट्रीयता :– आवेदक भारत का नागरिक हो।

आरक्षण :– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत आदेषों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

क्र.	पदनाम	परिलब्धो	
1.	तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)	मासिक मानदेय (एक मुष्त मासिक संविदा राषि सम्मिलित)	:– 19234/– रूपये
2.	तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)	मासिक मानदेय (भ्रमण भत्ता मोबाईल कूपन की राषि सम्मिलित)	:– 17520/– रूपये
3.	लेखा सहायक	मासिक मानदेय	:– 10000/– रूपये
4.	कम्प्यूटर सहायक	मासिक मानदेय	:– 10000/– रूपये

नोट :– राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत आदेषों के अनुसार आरक्षण एवं मासिक मानदेय निर्धारित किया जायेगा।

नियुक्ति के नियम तथा शर्तें :–

1. इन पदों पर नियुक्ति पूर्णतः संविदा के आधार पर होगी। ऐसे नियुक्त व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार पर कोई दायित्व नहीं होगा।
2. प्रारंभिक चरण में यह नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जायेगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्ण पद विषेष पर नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाए जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा।
3. संविदा के आधार पर नियुक्ति का नियम 11 (ख) में वर्णित प्रावधान के अनुरूप नवीकरण नहीं होने पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
4. यदि कोई कार्यरत कर्मी ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की मासिक परलिब्धी जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत कर्मी की सेवा की आवष्यकता नहीं है, तो उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धी देकर कार्यरत कर्मी की सेवा समाप्त कर सकते हैं, परंतु कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर ऐसे कार्यरत कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी वक्त समाप्त की जा सकेगी।
5. सभी पदो पर नियुक्ति हेतू खूँटी जिला के निवासियों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। साथ ही सभी अभ्यर्थियों को स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र 02/06/2016 के बाद का होना चाहिए।

ह०/–
उप विकास आयुक्त–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
खूँटी।

आवेदन–पत्र का प्रारूप

1. आवेदित पद का नाम : ....

2. आवेदक का नाम : ....

3. पिता/पति का नाम : ....

4. स्थायी पता : ग्राम ....
   पोस्टः...जिला ....
   राज्य ....पिन कोड.. ....

5. वर्तमान पता : ग्राम ....
   पोस्टः...जिला ....
   राज्य ....पिन कोड ....मो० नं. ....

6. जन्म तिथि :– ....

7. दिनांक 01.06.2019 को उम्र :– वर्ष ....माह ....दिन........................

8. लिंग (स्त्री०/पुलिंग) :– ....

9. कोटि :– ☐ अनुसूचित जाति ☐ अनुसूचित जनजाति ☐ सामान्य वर्ग

10. शैक्षणिक योग्यता :–

क्र.	परीक्षा का नाम	विष्वविद्यालय/संस्थान का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिषत/श्रेणी
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					

11. अन्य योग्यता :–

12. अनुभव का विवरण/प्रमाण–पत्र :–

मैं यह घोषणा करता/करती हुँ कि मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारियाँ मेरी जानकारी में सत्य है। मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

स्थान :–
दिनांक :–

आवेदक का हस्ताक्षर

नोट :– आवेदन पत्र के साथ सभी प्रकार के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों/अंक पत्रों/जाति प्रमाण पत्र/आयु के प्रमाण पत्र स्वरूप माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्णता से संबंधित बोर्ड का प्रमाण–पत्र/आवासीय प्रमाण पत्र/विकलांगता प्रमाण–पत्र असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें। उल्लेखित पते पर **निबंधित/स्पीड पोस्ट** के माध्यम से भेजा जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में अन्य माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएँगे। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि .... के अपराह्न 5:00 बजे तक निर्धारित है। विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र में प्राप्तांक के स्थान पर ग्रेड का उल्लेख है, वे संबंधित संस्थान से ग्रेड का प्राप्तांक में सम्परिवर्तन प्रमाण पत्र निष्चित रूप से संलग्न करेंगे। **लिफाफे के उपर आवेदित पद के नाम का उल्लेख आवश्य करें।** साथ ही आवेदन के साथ संलग्न सभी तरह के प्रमाण पत्र की छाया प्रति स्व–अभिप्रमाणित होना आवष्यक है।